न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 72 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सरकार जरिये 1. जिला कलक्टर बालोतरा 2. तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा	1. रणजीता पुत्र श्री भीमाराम उर्फ खेमाराम जाति सरगरा निवासी भंवरानी तहसील आहोर जिला जालोर 2. गजरा पुत्री चूना 3. देवाराम पुत्र श्री कानाराम 4. भटाराम पुत्र श्री कानाराम जातियान मेगवाल निवासीयान जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 71 / 2023 बअनवान रणजीत बनाम सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—15.01.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/उतरदाता संख्या 01 ने एक आवेदन पत्र 144 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि मौजा जसोल के खेत खसरा संख्या 556 में म्यूटेशन संख्या 2900 के जरिये दर्ज प्रविष्टियों को पुर्नस्थापित कर खसरा संख्या 556 का रकबा माफिक निर्णय व डिक्री रकबा 76 बीघा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। हस्तगत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकरीबन दो माह बाद दिनांक 09.06.2023 को जो अपीलांट के मोनेटरिंग अधिकारी है अपने विभागीय ताकत को हथियार बनाकर अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर 10 दिन में दबाब से अपूर्ण व मनमाना जबाब रेकर्ड पर लिया जाकर तीन दिन बाद ही पत्रावली बहस में रखा जाकर एवं अगली ही पेशी पर बहस सुना जाना आदेशिका में अंकन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 556 की खतौनी में नामांतकरण 2900 जरिये दर्ज प्रविष्टियों को पुर्नस्थापित किये जाने के आदेश दिये गये जो विधि सम्मत नहीं है। आवेदक रणजीता वादग्रस्त आराजी में कथित विक्रय विलेख से अपना हित होना प्रकट कर रहा जो विक्रय विलेख प्रकट कर रहा है देखने मात्र से संदिग्ध व ऑवर राईटिंग से कायम प्रतीत हो रहा है एवं प्रार्थी रणजीता पुत्र भीमाराम ने कथित उक्त संदिग्धत व ऑवर राईटिंग से कायम विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम ऑथिरिटी के समक्ष इसकी जांच व सत्यापन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के लिए पेश नहीं किया न ही अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाने का किसी किसी भी सक्षम ऑथिरिटी को प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी में पारित किया गया। अदालत मातहत ने राजस्व विधि व सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। उतरदाता/प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जो बाद सुनवाई प्रार्थी/उतरदाता के हकपूर्वाधिकारियों का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 556 रकबा 76 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि प्रतिवादी वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिए गए की वो नक्शें के अनुसार विवादित भूमि का नाप कर राजस्व रेकर्ड में सही स्थिति दर्ज करे। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में नामांतकरण संख्या 2900 के जरिये प्रविष्टियां अंकित की जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर रकबा 7.15 बीघा के स्थान पर 76 बीघा दर्ज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध विप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील प्राधिकारी जोधपुर कैम्प बाड़मेर के सक्षम प्रथम अपील पेश की गई, जो बाद सुनवाई अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2009 को अपास्त किया और उक्त निर्णय की पालना में पूर्व पारित नामांतकरण संख्या 2900 को निरस्त कर पुनः पूर्व स्थिति नामान्तरकरण संख्या 3426 के जरिये रेकर्ड में इन्द्राज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी/उतरदाता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई। जो बाद सुनवाई उतरदाता की अपील को स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर कैम्प बाड़मेर निर्णय दिनांक 09.11.2011 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पुष्टि की गई। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हो पायी, अर्सा 2 माह पूर्व रणजीता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्रतिनिधी सरकार तहसीलदार पचपदरा को पेश कर अमल दरामद हेतु कहा तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर बालोतरा से तहसीलदार पचपदरा द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर श्रीमान जिला कलक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 05.04.2024 को अपील पेश करने के निर्देश जारी किये परन्तु प्रतिनिधी सरकार तहसीलदार पचपदरा लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने से चुनाव सम्पन्न होने के बाद सहायक कलक्टर बालोतरा से दस्तावेज मांगे गये जो दिनांक 13.05.2024 को मिले जिस पर समस्त दस्तावेज राजकीय अभिभाषक को अपील व कार्यवाही हेतु पत्र भेजे गये जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 17.05.2024 को राजकीय अभिभाषक ने अपील तैयार कर पेश करने के निर्देश दिये जिस पर तुरन्त कार्यवाही कर अपील के समर्थन में शपथ–पत्र हस्ताक्षरित कर व अपील राजकीय अभिभाषक से हस्ताक्षरित कर पेश की जा रही है। सर्वप्रथम गलत रूप से की गई डिक्री की जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उतरदाता संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा झुठे तथ्यों के आधार पर अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील को देरी से पेश करने का कारण भी नहीं बताया गया। अतः अपील मियाद के बिंदु पर ही खारिज की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उतरदाता/प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जो बाद सुनवाई प्रार्थी/उतरदाता के हकपूर्वाधिकारियों का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 556 रकबा 76 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि प्रतिवादी वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिए गए की वो नक्शें के अनुसार विवादित भूमि का नाप कर राजस्व रेकर्ड में सही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थिति दर्ज करे। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में नामांतकरण संख्या 2900 के जरिये प्रविष्टियां अंकित की जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर रकबा 7.15 बीघा के स्थान पर 76 बीघा दर्ज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध विप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर कैम्प बाड़मेर के सक्षम प्रथम अपील पेश की गई, जो बाद सुनवाई अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2009 को अपास्त किया और उक्त निर्णय की पालना में पूर्व पारित नामांतकरण संख्या 2900 को निरस्त कर पुनः पूर्व स्थिति नामान्तरकरण संख्या 3426 के जरिये रेकर्ड में इन्द्राज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी/उतरदाता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई। जो बाद सुनवाई उतरदाता की अपील को स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर कैम्प बाड़मेर निर्णय दिनांक 09.11.2011 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पुष्टि की गई। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व स्थिति को बहाल करवाने के लिए प्रार्थी/उतरदाता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका एस बी सिविल पीटीशन संख्या 17245/2018 प्रस्तुत की गई, रिट याचिका बाद सुनवाई दिनांक 18.02.2019 को निर्णय पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश करे और साथ ही तीन माह के भीतर प्रकरण को निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत आवेदन पेश होने के पश्चात अपीलांटस बाद तामील उपस्थित हुए तथा अपना जबाव पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/2023 बअनवान रणजीत बनाम सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2023 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश प्रजापत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर